राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4366/2022

सुरेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री इंद्र सिंह राठौड़, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी 32, तारा नगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर। वर्तमान में, सीईओ, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जैव ईंधन प्राधिकरण, जयपुर। (याचिकाकर्ता वर्तमान में सेंट्रल जेल, जयपुर में बंद है)

----याचिकाककर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, अपने लोक अभियोजक के माध्यम से।

---- प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री वी.आर. बाजवा वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री स्नेहदीप ख्यालिया के साथ श्री मनीष परमार
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	डॉ. विभूति भूषण शर्मा, एएजी ने श्री प्रखर गुप्ता की सहायता की श्री तुषार पारीक, सुश्री चार्वी पाटनी, श्री अविनाश चौधरी, श्री प्रशांत शर्मा, श्री अरविन्द कुमार, पी.पी

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

आदेश

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 01/09/2022

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 09/09/2022

1. याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 (संक्षेप में "पी.सी. एक्ट") की धारा 7, 7क, 8 और 12 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 120-ख के तहत भी अपराध के लिए प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर जिला बीकानेर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 131/2022 दिनांक 14.04.2022 में आरोपी है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त एफआईआर को इस आधार पर रद्द करने की मांग की है कि एफआईआर संख्या 123/2022, पी.सी. एक्ट की धारा 7 और 7क के साथ-साथ आईपीसी की धारा 120-ख के तहत अपराध के लिए 08.04.2022 दर्ज की गई है, जो समान लेनदेन के समान आरोपों

से संबंधित है, इसलिए आक्षेपित एफआईआर उसी कारण से दूसरी एफआईआर है जो स्वीकार्य नहीं है। चुनौती का दूसरा आधार यह है कि माना जाता है कि याचिकाकर्ता एक लोक सेवक है और कथित अपराध याचिकाकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में की गई संदिग्ध सिफारिशों या लिए गए निर्णय से संबंधित हैं और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर किए गए किसी भी अपराध की जांच या जांच करने के लिए पी.सी. एक्ट की धारा 17क के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। चूंकि इस मामले में याचिकाकर्ता को उसके कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी नहीं ली गई है, इसलिए एफआईआर की जांच नहीं की जा सकती है, याचिकाकर्ता के लिए एफआईआर टिकाऊ/धारणीय नहीं है।

2. पहली एफआईआर (123/2022) की सामग्री के अनुसार, फेम बायो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य विपणन अधिकारी, विपिन परिहार, अपने बिजनेस पार्टनर देवेन शाह के साथ-साथ कुसुम पेट्रो केमिकल्स के एस.डी. सत्य नारायण सैनी ने 06.04.2022 को एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय में आकर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, जो राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत जैव ईंधन प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह परियोजना निदेशक है, ने बायो डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर 2 रुपये रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायत की तिथि पर, उपरोक्त मांग 15 लाख रुपये प्रतिमाह पर तय की गई थी। आगे शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता ने लाइसेंस के नवीनीकरण और बड़ौदा में व्यवसाय के विस्तार के लिए 5 लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता ने कहा कि 04.04.2022 को वह उसके लाइसेंस नवीनीकरण के साथ-साथ उसके व्यवसाय के विस्तार के लिए याचिकाकर्ता से उनके कार्यालय में मिला था और याचिकाकर्ता ने ऐसी मंजूरी की मांग रखी, बल्कि याचिकाकर्ता ने दबाव डाला कि यदि याचिकाकर्ता को निर्धारित मासिक राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि चूंकि वह लोक सेवक को रिश्वत नहीं देना चाहता, इसलिए शिकायत की। तदनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने आवश्यक अनुमोदन और तैयारी के बाद 07.04.2022 को जाल बिछाया। शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के कार्यालय पहुंचा। याचिकाकर्ता ने उनसे कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे देवेश शर्मा को पैसे देने के लिए कहा। देवेश शर्मा ने रुपये अपने बैग में रखने को कहा और बैग बंद कर दिया। याचिकाकर्ता के निर्देशानुसार देवेश शर्मा को बैग सीधे याचिकाकर्ता के घर ले जाना था। इसके बाद गिरफ्तारी और जब्ती की अन्य

औपचारिकताएं पूरी की गईं। यह भी सामने आया कि देवेश शर्मा वास्तव में याचिकाकर्ता का टाउट था, न कि प्राधिकरण में संविदा कर्मचारी। मौके पर याचिकाकर्ता और देवेश का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। एफआईआर में विशेष रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता और देवेश शर्मा के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से रिश्वतखोरी की और जानकारी सामने आ सकती है।

3. कथित तौर पर 30.09.2021 से 12.04.2022 के बीच हुई घटना के लिए 14.04.2022 को आक्षेपित एफआईआर दर्ज की गई थी। आक्षेपित एफआईआर की जानकारी कथित तौर पर 30.09.2021 को प्राप्त हुई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक कांस्टेबल श्री श्याम प्रकाश ने ब्यूरो के डीएसपी श्री पारस मल को सूचित किया था कि राजस्थान राज्य में बायो डीजल के क्षेत्र बहुत बड़ा और गहरा भ्रष्टाचार है। यह बताया गया कि याचिकाकर्ता बायो फ्यूल पंप चलाने का लाइसेंस देने के लिए रिश्वत लेता है साथ ही पंप मालिकों और जैव ईंधन आपूर्तिकर्ताओं से अवैध रूप से व्यवसाय चलाने की अनुमति देने के लिए पैसे वसूलता है। गुंजन बायो फ्यूल पंप के मालिक श्री निम्बा राम और उनके सहायक आशीष, याचिकाकर्ता और जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच बिचौलिए के रूप में काम करते हैं। इसके बाद ब्यूरो द्वारा निंबा राम और आशीष कुमार के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद उन्हें सर्विलांस पर रखा गया। उनकी कॉल डिटेल और बातचीत सुनी गई और नोट की गई जिसका उल्लेख एफआईआर में आइटम संख्या 1 से 14 में किया गया है। इस न्यायालय ने कॉल विवरण के आइटम संख्या 1 से 14 तक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, याचिकाकर्ता का नाम उन सभी मदों में सामने नहीं आया है और न ही उन कॉल विवरणों से पता चलता है कि कॉल विवरण याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता की भागीदारी के लिए या उसकी ओर से थे।

4. एफआईआर के आइटम संख्या 6 में उल्लेख किया गया है कि श्री आशीष ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि कोर्टियार्क इंडस्ट्रीज के मालिक श्री गौरांग ने जैव ईंधन प्राधिकरण को सूचना दिए बिना निदेशक मंडल को बदल दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना अनुमति के बोर्ड के संविधान में बदलाव के लिए श्री गौरांग को नोटिस जारी किया जाए। इससे यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि नोटिस से बचने के लिए कुछ मांगा गया हो। एक अन्य मामला जो सीधे तौर पर आइटम संख्या 10 में शामिल याचिकाकर्ता से संबंधित है, यह दिनांक 26.01.2022 की कॉल डिटेल थी जिसमें याचिकाकर्ता कथित तौर पर निंबा राम के साथ बात करते हुए पाया गया था और कह रहा

था कि शेखावतजी की फाइल रखी गई है। हालाँकि शेखावतजी ने वादे के मुताबिक पाँच के बजाय केवल चार का ही भुगतान किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता निंबा राम द्वारा सुझाई गई शर्तों पर सहमत हो गया, जो शेखावतजी के काम करने के लिए रिश्वत के भुगतान से संबंधित है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.आर. बाजवा का तर्क है कि यह जांच एजेंसी (एंटी करप्शन ब्यूरो) द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है। पहली एफआईआर दिनांक 8.4.2022 के अपराध से संबंधित है जब देवेश नामक व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और यह कहा गया है कि रिश्वत याचिकाकर्ता के लिए स्वीकार की गई थी। दूसरी एफआईआर जिसे यहां चुनौती दी गई है वह 14.4.2022 को दर्ज की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप है कि 26.1.2022 को उनकी टेलीफोन पर बातचीत से पता चला कि शेखावतजी पर कुछ एहसान करने के लिए रिश्वत ली गई थी। इन दो समान अपराधों को छह माह की अवधि के भीतर किए जाने का आरोप है और धारा 219 सी.आर.पी.सी. एक ही व्यक्ति द्वारा बारह माह की अवधि के भीतर किए गए तीन समान अपराधों के मुकदमे की सुनवाई की अनुमति देता है, हालांकि एक ही मुकदमे में विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध भी। इसलिए, यदि आरोपी याचिकाकर्ता को दो बार जांच/मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया गया तो इससे पक्षपात होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि यदि कथित दो घटनाओं में से एक परीक्षण की अनुमति है, तो कोई कारण नहीं है कि एक जांच न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी और न ही जांच एजेंसी ने एकल जांच की स्थिति में अभियोजन पक्ष पर कोई पूर्वाग्रह बताया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि पी.सी. एक्ट की धारा 17क अधिनियम, याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच पर रोक लगाता है जो एक लोक सेवक है, अधिनियम के तहत उन अपराधों के लिए जो लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलील के समर्थन में टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य, (2001) 6 एससीसी 181; बाबूभाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, (2010) 12 एससीसी 254; अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम सीबीआई एवं अन्य, (2013) 6 एससीसी 348 और प्रेम चंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जेटी 2020 (2) एससी 195 के मामले पर भरोसा जताया है और कहा कि कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दूसरी एफआईआर कानून में टिकाऊ नहीं है।। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यशवंत सिन्हा और अन्य

बनाम सीबीआई, (2020) 2 एससीसी 338 के मामले पर भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि पी.सी. एक्ट की धारा 17क के तहत पूर्व अनुमोदन के बिना मामले की जांच की अनुमति नहीं है।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से डॉ. वी.बी. शर्मा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया और दावा किया कि आक्षेपित एफआईआर अलग-अलग व्यक्तियों के विरुद्ध की गई पूरी तरह से अलग-अलग घटनाओं से संबंधित है। इसके अलावा, आक्षेपित एफआईआर में अधिक अपराध और अधिक अपराधी शामिल हैं। इसलिए, आक्षेपित एफआईआर को उसी घटना या घटना के लिए दूसरी एफआईआर के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क है कि पी.सी. अधिनियम की धारा 17क के तहत एफआईआर की जांच की अनुमति आवश्यक है, यह सुधार योग्य दोष है और एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं है। अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 6 एससीसी 384 के मामले पर भरोसा रखा गया है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, "न्यायालय को एक या अधिक एफआईआर के प्रभाव की जांच करने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को तर्कसंगत बनाना होगा और फिर यह पता लगाने के लिए "समानता" का परीक्षण लागू करना होगा कि क्या दोनों एफआईआर संबंधित हैं एक ही घटना और एक ही घटना, उन घटनाओं के संबंध में हैं जो एक ही लेनदेन के दो या दो से अधिक भाग हैं या पूरी तरह से दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित हैं। अगर उत्तर पहली श्रेणी में आता है तो दूसरी एफआईआर रद्द हो सकती है। हालाँकि, यदि इसके विपरीत सिद्ध होता है, तो क्या मूलपाठ दूसरी एफआईआर अलग है और वे अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, दूसरी एफआईआर स्वीकार्य है।"

7. अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2009) 1 एससीसी 441 के निर्णय पर भरोसा जताया है, कि यदि "दो एफआईआर का कैनवास बिल्कुल अलग है, दोनों एफआईआर में आरोपियों की संख्या भी अलग है, तो दूसरी एफआईआर की अनुमति होगी"। उन्होंने इस न्यायालय के एक निर्णय, सौरभ गर्ग बनाम राजस्थान राज्य, एकलपीठ विविध याचिका क्रमांक 6337/2021 पर दिनांक 21.1.2022 को फैसला आया, पर भी भरोसा जताया है। उनकी दलील के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन 315 के निर्णय पर भरोसा जताया है, कि आम तौर पर न्यायालय को मामले की जांच करने के लिए पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर

हड़पना नहीं चाहिए। सीआरपी.सी. की धारा 482 के तहत शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं लेकिन न्यायालय को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर स्थापित मापदंडों को लागू करने के लिए कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है, जिन पर एफआईआर को रद्द करते समय विचार किया जाना आवश्यक है।

8. टी.टी. एंटनी (सुप्रा.) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद संज्ञेय अपराध की जांच करने के पुलिस के वैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप करने से पहले, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के अधिकार और जांच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा। एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू होने के बाद, एक ही घटना और अपराध के संबंध में दूसरी एफआईआर या लगातार एफआईआर दर्ज करना और उसके अनुसार नई जांच करना अनियमित होगा जिसके लिए आवश्यकता होगी अनुच्छेद 226/227 या धारा 482 सीआर.पी.सी. के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप और अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, जिससे जांच की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए।

9. मौजूदा मामले में, पहली एफआईआर की जांच चल रही थी, तब यह सामने आया कि याचिकाकर्ता ने किसी शेखावतजी पर कुछ अनुचित उपकार दिखाने के लिए शेखावतजी से भी रिश्वत की मांग की थी/स्वीकार की थी।

10. बाबू भाई (सुप्रा.) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> 20. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर कानून इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धारा 154 सी.आर.पी.सी. के तहत एक एफआईआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई संज्ञेय अपराध की पहली सूचना है। यह आपराधिक कानून की मशीनरी को गति प्रदान करता है और जांच की शुरुआत को चिह्नित करता है जो सीआर.पी.सी. की धारा 169 या 170 के तहत एक राय के गठन के साथ समाप्त होती है, जैसा भी मामला हो, और धारा 173 सीआर.पी.सी.के तहत एक पुलिस रिपोर्ट को अग्रेषित किया जाता है। इस प्रकार, यह बहुत संभव है कि एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों से जुड़ी एक ही घटना के संबंध में पुलिस

स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को एक से अधिक जानकारी दी जाए। ऐसे मामले में, उसे डायरी में प्रत्येक जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों की जांच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से दी गई अन्य सभी जानकारी सीआर.पी.सी. की धारा 162 के तहत आने वाले कथन होंगे।

21. ऐसे मामले में न्यायालय को दोनों एफआईआर को जन्म देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होगी और यह पता लगाने के लिए समानता का परीक्षण लागू करना होगा कि क्या दोनों एफआईआर एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के लिए जो एक ही लेन-देन के दो या दो से अधिक भाग हैं से संबंधित हैं। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी एफआईआर रद्द की जा सकती है। हालाँकि, यदि इसके विपरीत सिद्ध होता है, जहां दूसरी एफआईआर का संस्करण अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, तो दूसरी एफआईआर की अनुमति है। यदि उसी घटना के संबंध में पहली एफआईआर में आरोपी अगर अलग संस्करण या प्रतिदावे के साथ आगे आता है, तो दोनों एफआईआर पर जांच होनी है।

11. अमितभाई मामले (सुप्रा.) में, पहली एफआईआर दो व्यक्तियों की मुठभेड़ हत्या के लिए दर्ज की गई थी और दूसरी एफआईआर तीसरी मुठभेड़ हत्या के लिए दर्ज की गई थी। दोनों घटनाएं एक ही साजिश के तहत अंजाम दी गईं, प्रत्यर्थी सीबीआई यह नहीं दिखा पाई कि अगर दूसरी एफआईआर रद्द कर दी गई तो अभियोजन कैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा।

12. मौजूदा मामले में अनुचित लाभ के लिए रिश्वत लेने की साजिश का आरोप है। पहली एफआईआर भी आईपीसी की धारा 120 ख के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई थी, दूसरी एफआईआर में पी.सी. एक्ट की धारा 8 और 12 जोड़ा गया। पी.सी. एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देने का प्रयास करता है या रिश्वत देता है तो वह दंडनीय है। धारा 12 के तहत जो अधिनियम के तहत अपराध के उन्मूलन से संबंधित है जो दंडनीय भी है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध ये दोनों अपराध लागू नहीं होते।

13. प्रेम चंद सिंह (सुप्रा.) में, पहली एफआईआर प्रत्यर्थी की सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और उसकी जमीन बेचने को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। दूसरी एफआईआर भी उसी आधार पर दर्ज की गई थी, फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार धारा 467, 468 और 471, 113 भी जोड़ी गईं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि चूंकि दोनों एफआईआर का आधार समान है, केवल आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 को जोड़ने के कारण दूसरी एफआईआर उचित नहीं है।

14.अंजू चौधरी (सुप्रा.) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "15. प्रत्येक मामले की गुणागुण के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या बाद में दर्ज की गई एफआईआर उसी घटना या अपराध के बारे में दूसरी एफआईआर है या अलग और अलग तथ्यों पर आधारित है और क्या इसकी जांच का दायरा पूरी तरह से अलग है या नहीं। न्यायालय के लिए सभी पर समान रूप से लागू होने वाला एक स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित करना उचित नहीं होगा। किसी दिए गए मामले की गुणागुण के आधार पर यह हमेशा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न होगा ।

15. मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में श्री विपिन परिहार पर कुछ एहसान दिखाने के लिए 7.4.2022 को अपने एजेंट के माध्यम से रिश्वत लेते समय फंसाया/पकड़ा गया था, दूसरी एफआईआर दिनांक 21.1.1022 की एक घटना से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर आधिकारिक क्षमता में उसका पक्ष लेने के लिए किसी शेखावतजी से रिश्वत ली थी। दोनों अपराध समान प्रकृति के हैं और बहुत कम समय के भीतर किए गए हैं। दूसरी घटना जो पहली एफआईआर की विषय वस्तु से पहले की थी, उसकी जांच पहली एफआईआर में ही की जा सकती थी क्योंकि कानून के तहत दोनों आरोपों पर एक ही सुनवाई की अनुमति थी। धारा 219 सी.आर.पी.सी. इस प्रकार पढ़ता है:

> 219. एक वर्ष के भीतर एक ही प्रकार के तीन अपराधों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है।
>
> (1) जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराधों के पहले से आखिरी तक बारह माह के अंतराल के भीतर किए गए एक ही प्रकार के एक से अधिक

अपराधों का आरोप लगाया जाता है, चाहे वह एक ही व्यक्ति के संबंध में हो या नहीं, तो उस पर आरोप लगाया जा सकता है, और एक ही बार में उन पर मुकदमा चलाया गया, उनकी संख्या तीन से अधिक न हो।

(2) अपराध एक ही प्रकार के होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी विशेष या स्थानीय कानून की एक ही धारा के तहत समान सजा से दंडनीय होते हैं: बशर्ते, इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध को उक्त संहिता की धारा 380 के तहत दंडनीय अपराध के समान ही अपराध माना जाएगा, और किसी भी धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। उक्त संहिता, या किसी विशेष या स्थानीय कानून को, ऐसे अपराध करने के प्रयास के समान ही अपराध माना जाएगा, जब ऐसा प्रयास एक अपराध है।

16. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पहली एफआईआर में कथित अपराध के साथ-साथ कानून के अनुसार, दूसरी एफआईआर में कथित अपराध का संयुक्त मुकदमा चलाने की अनुमति है। इस कारण भी, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दूसरी एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यदि मामले की जांच साजिश के एंगल से की जाती है, तो दोनों एफआईआर में याचिकाकर्ता के विरुद्ध समान अपराधों की साजिश का आरोप है, इसलिए, यह मामला अमित भाई मामले (सुप्रा.) में निर्णय के अंतर्गत आता है। प्रत्यर्थीगण ने ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया है जो दूसरी एफआईआर को रद्द करने की स्थिति में होता। न्यायालय की राय है कि जांच एजेंसी द्वारा शक्ति का दुरुपयोग निश्चित रूप से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए ही आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जाता है।

17. पी.सी. अधिनियम की धारा 17क इस प्रकार है:

17क. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा कथित तौर पर किए गए किसी अपराध की कोई जांच पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा, जहां कथित अपराध ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित है।

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या नियोजित था, उस समय जब

उस सरकार के संघ के मामलों के संबंध में अपराध करने का आरोप लगाया गया था किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उसे उसके कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस समय जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था:

(ख) बशर्ते कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों के लिए ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होगी स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी अनुचित लाभ को स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर:

(ग) बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी इस धारा के तहत तीन माह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताएगा, जो कि कारणों से हो सकता है ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया गया, एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। "

18. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दूसरी एफआईआर वह मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसलिए, मामले की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदन आवश्यक था और पूर्व अनुमोदन के बिना, आक्षेपित एफआईआर की जांच नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण को यशवंत सिंह (सुप्रा.) के निर्णय से समर्थन मिलता है, प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

धारा 17क के संदर्भ में, किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध की जांच या जांच करने की अनुमति नहीं है, जहां कथित अपराध लोक सेवक द्वारा अपने सार्वजनिक निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित है। अन्य बातों के साथ-साथ, उस समय लोक सेवक को उसके कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य करता है जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में शामिल लोक सेवक के संबंध में, यह खंड (ग) है, जो लागू होता है। इसलिए, जब तक पूर्व अनुमोदन न हो, न तो जाँच हो सकती है, न पूछताछ हो सकती है और न ही जाँच पड़ताल हो सकती है। इस संदर्भ में यह नोटिस करना उचित है कि शिकायत, जो कि याचिकाकर्तागण द्वारा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298/2018 में दायर की गई है, जो पहले प्रत्यर्थी-सीबीआई के समक्ष दायर की गई थी, धारा 17क जोड़े जाने के बाद की गई है। शिकायत दिनांक 04.10.2018 की है। पैराग्राफ 5 उस राहत को निर्धारित करता है जो शिकायत में मांगी गई है जो कि विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करना है। शिकायत के पैराग्राफ 6 और 7 धारा 17क के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार है:

19. हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच पड़ताल या जांच के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 17 (क) को एक संशोधन के माध्यम से लाया गया है।

20. हम यह भी जानते हैं कि यह आपको एक अजीब स्थिति में डाल देगा, जहां आपको आरोपी से ही उसके विरुद्ध मामले की जांच करने की अनुमति मांगनी होगी। हमें एहसास है कि इस मामले में आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम पहला कदम इस अपराध की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (क) के तहत सरकार की अनुमति लेने का लें और जिसके तहत, " संबंधित प्राधिकारी इस धारा के तहत तीन माह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताएगा, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इसे एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

21. इसलिए, याचिकाकर्तागण ने पूरी तरह से यह जानते हुए शिकायत दर्ज की है कि धारा 17क किसी भी पूछताछ या पूछताछ या जांच पर रोक लगाती है जब तक कि पूर्व अनुमोदन न हो। वास्तव में, 2018 अधिनियम की धारा 17क के तहत अनुमति लेने का पहला कदम कम से कम उठाने का अनुरोध किया जाता है। रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298/2018, 24.10.2018 को दायर की गई थी और शिकायत एफआईआर दर्ज न करने पर आधारित है। धारा 17क को कोई चुनौती नहीं है। कानून के तहत, जैसा कि यह था, याचिका दायर करने की तारीख पर और आज भी, धारा 17क क़ानून की किताब में बनी हुई है और यह किसी भी जांच या पूछताछ या जांच पड़ताल पर रोक लगाती है। याचिकाकर्तागण ने स्वयं शिकायत में धारा 17क के संदर्भ में मंजूरी लेने का अनुरोध किया है, लेकिन जब रिट याचिका में मांगी गई राहत की बात आती है, तो इस संबंध में कोई राहत का दावा नहीं किया गया था।

22. प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। अंजू चौधरी (सुप्रा.) में, पहली एफआईआर 145/2007, 27.1.2007 को दुकानों में हुई आगजनी की घटना के लिए 3.2.2007 को दर्ज की गई थी। उसी दिन, एक हिंदू लड़के की हत्या के लिए एक शोक सभा आयोजित की गई जिसमें दूसरी एफआईआर के अभियुक्तों ने भाग लिया। शोक सभा में कुछ प्रतिभागियों द्वारा नफरत भरे भाषण,

साम्प्रदायिक और भड़काऊ भाषण दिए गए जिससे दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा हुआ और दुकानों, घरों, गोदामों और वाहनों को जलाने का एक और कृत्य किया गया। उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, दूसरी एफआईआर पोषणीय पाई गई क्योंकि दूसरी एफआईआर बिल्कुल अलग घटना से उत्पन्न हुई थी और इसमें अलग-अलग व्यक्ति शामिल थे और साथ ही बड़ी साजिश का भी प्रश्न था।

23. निर्मल सिंह केहलों (सुप्रा.) में, पहली एफआईआर में किसी साजिश के अस्तित्व के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था। दूसरी एफआईआर हुई। दोनों एफआईआर का कैनवास बिल्कुल अलग था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दूसरी एफआईआर कायम रखने योग्य थी। मौजूदा मामले में, दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी का उल्लेख है जो साजिश से संबंधित है, इसलिए, दूसरी एफआईआर में बताए गए समान अपराध की साजिश की जांच पहली एफआईआर में की जा सकती थी और जांच की जानी चाहिए थी।

इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के समक्ष, सौरभ गर्ग (सुप्रा.) के मामले में, तथ्य लगभग समान थे, हालांकि ऊपर उल्लिखित मामला धारा 219 सीआर.पी.सी. के प्रावधान, माननीय पीठ के समक्ष विचाराधीन नहीं था। अमित भाई (सुप्रा.) में, अंजू चौधरी, निर्मल केहलों और बाबू भाई (सुप्रा.) के निर्णयों पर विचार किया गया तथा उन्हें प्रतिष्ठित किया गया।

24. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की ओर से आक्षेपित एफआईआर को रद्द कर दिया गया है और इस याचिका को अनुमति दी गई है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।